"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 मार्च 2008— चैत्र 1, शक 1930

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2008

क्रमांक ई-7/3/2008/1 /2.—श्री ओमप्रकाश चौधरी, भा. प्र. से., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा, जिला दुर्ग को दिनांक 15-02-2008 से 29-02-2008 तक (15 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री चौधरी, आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बेमेतरा, जिला दुर्ग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री चौधरी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2008

क्रमांक 2010/डी-771/21-ब/छ. ग./2008.— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री इन्द्रकुमार रावत, अधिवक्ता, भानुप्रतापपुर को फास्ट ट्रेक कोर्ट भानुप्रतापपुर में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिए या फास्ट ट्रेक कोर्ट समाप्ति तक, जो अवधि पहले आये, शासन द्वारा देय पारिश्रमिक पर अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2008

क्रमांक 2170/738/21-ब/छ. ग./2008.— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री गोविंद प्रसाद कौशिक, अधिवक्ता, जिला- बिलासपुर को पुनः दिनांक 01-08-05 से तीन वर्ष की कालावधि के लिए बिलासपुर जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2008

क्रमांक 2174/738/21-ब/छ. ग./2008.— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री देवव्रत दत्ता, अधिवक्ता, जिला- बिलासपुर को पुनः दिनांक 01-08-05 से तीन वर्ष की कालावधि के लिए बिलासपुर जिले के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2008

क्रमांक 2178/738/21-ब/छ. ग./2008.— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री छेदू सिंह ठाकुर, अधिवक्ता, जिला- बिलासपुर को पुनः दिनांक 01-08-05 से तीन वर्ष की कालावधि के लिए बिलासपुर जिले के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2008

क्रमांक 2184/738/21-ब/छ. ग./2008.— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री ओमप्रकाश सहाय, अधिवक्ता, जिला- बिलासपुर को पुन: दिनांक 01-08-05 से तीन वर्ष की कालावधि के लिए बिलासपुर जिले के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2008

क्रमांक 2188/738/21-ब/छ. ग./2008.— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्रीमती नवनीता पाण्डेय, अधिवक्ता, जिला- बिलासपुर को पुन: दिनांक 01-08-05 से तीन वर्ष की कालावधि के लिए बिलासपुर जिले के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2008

क्रमांक 2190/738/21-ब/छ. ग./2008.— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री छेदीलाल यादव, अधिवक्ता, जिला- बिलासपुर को पुन: दिनांक 01-08-05 से तीन वर्ष की कालावधि के लिए बिलासपुर जिले के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2008

क्रमांक 2194/738/21-ब/छ. ग./2008.— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री दिनेश कुमार गुप्ता, अधिवक्ता, जिला- बिलासपुर को पुन: दिनांक 01-08-05 से तीन वर्ष की कालावधि के लिए बिलासपुर जिले के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. पाठक, उप-सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2008

क्रमांक 73/13/ऊ. वि./2008.— राज्य शासन, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 (1948 का अधिनियम सं.-54) की धारा 5 के अन्तर्गत गठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल को एतद्द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का अधिनियम सं.-36) की धारा 172 (अ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, भारत सरकार से प्राप्त सहमति के अनुसार, विद्युत अधिनियम 2003 के संगत प्रावधानों के अनुसार राज्य पारेषण यूटिलिटी एवं अनुज्ञप्तिधारी के रूप में अपेक्षित कृत्यों को 29-02-2008 की अवधि से आगामी 31-03-2008 तक निर्वहन हेतु अधिकृत करती है.

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देबासीष दास, विशेष सचिव.

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2008

क्रमांक एफ 6-13/2008/वा. कर/पांच.— राज्य शासन एतद्द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के निम्नलिखित वाणिज्यिक कर अधिकारियों को सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर के पद पर वेतनमान रु. 10,000-325-15,200 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करते हुए, उन्हें उनके नाम के सामने कॉलम 3 में दर्शाये स्थान पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :-

स. क्र.	अधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री के. आर. ठाकुर, वाणिज्यिक कर अधिकारी, कोरबा वृत्त, कोरबा	सहायक आयुक्त, कार्यालय संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, रायपुर.
2.	श्री उदय शंकर, वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-5, रायपुर.	सहायक आयुक्त, कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर, रायपुर.
3.	श्री टीकाराम धुर्वे, वाणिज्यिक कर अधिकारी, दुर्ग वृत्त-2, दुर्ग.	सहायक आयुक्त, कार्यालय छ. ग. वाणिज्यिक कर अधिकरण, रायपुर (सचिव के पद के विरुद्ध प्रतिनियुक्ति पर)
4.	श्री तोरण लाल ध्रुव, वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-3, रायपुर.	सहायक आयुक्त, कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर, रायपुर.
5.	श्री आर. पी. सलूजा, वाणिज्यिक कर अधिकारी, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर.	सहायक आयुक्त, कार्यालय संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, बिलासपुर.

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदोन्नतियों में "छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003" तथा उक्त नियमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की स्थिति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ/4-2/2001/1/3, दि. 11-2-2008 द्वारा जारी किए गए पूरक निर्देशों के अनुसार आरक्षण का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्यांण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2008

क्रमांक एफ 4-9/2007/23.— राज्य शासन एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2001" के नियम 13 के अनुक्रम में ग्रामीण क्षेत्र के जन्म-मृत्यु पंजीयन का कार्य 01 जनवरी 2008 से पंचायत प्रणाली को सौपे जाने के फलस्वरूप इसके पूर्व के जन्म-मृत्यु अभिलेखों के आधार पर "जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969" की धारा 17 के अधीन तलाशी करने, उद्धरण प्रारूप क्रमांक 5 एवं 6 तथा अप्राप्यता प्रमाण पत्र प्रारूप क्रमांक 10 में जारी करने हेतु जन सुविधा की दृष्टि से पूर्व रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं पुलिस थाना प्रभारी को अंतरिम रूप से प्राधिकृत किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. श्रीनिवासुलु, विशेष सचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2008

क्रमांक 1971/एफ -13-05/20/08.— छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 (क्रमांक 23 सन् 1965) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ट) के उपखंडो द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को माध्यमिक शिक्षा मंडल के सदस्यों के रूप में नाम-निर्दिष्ट करती है :-

1. उपखंड (ज) के अंतर्गत विश्वविद्यालय के कुल सचिव

क्र.	नाम	पता
1.	श्रीमती इन्दु अनन्त	कुल सचिव पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

2. उपखंड (झ) के अंतर्गत स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य

क्र.	नाम	पता
1.	डॉ. अरविंद गिरोलकर	प्राचार्य शासकीय दूधाधारी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, रायपुर

3. उपखंड (3) के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी

क्र.	नाम	पता
1.	श्री मनोहर पाण्डेय	विशेष सचिव स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, रायपुर

उपरोक्त नाम-निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि इस अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष की होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2008

क्रमांक/क/वा./भू. अ./प्र. क्र. 12/अ 82 वर्ष 07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4) (1)	(4) (2)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	परसुलीडीह पटवारी हल्का नं. 96	18	0.150	कार्यपालन अभियंता, छ. ग. गृह निर्माण मण्डल संभाग-1 रायपुर.	दीनदयाल आवास कालोनी में पहुंच मार्ग हेतु भूमि का अर्जन.
			21/3, 21/1	0.089		
			200	0.202		
			199/2	0.057		
			198/2, 199/6	0.041		
			199/3	0.036		
			29/3	0.101		
			29/2	0.020		
			29/1, 30/1	0.136		
			31	0.567		
			23/2	0.202		
		योग	11	1.601		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 5 मार्च 2008

क्रमांक /41 / अ. वि. अ./भू-अर्जन/04 अ/82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	बेलटुकरी प. ह. नं. 84	1.34	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द (छ. ग.)	कोडार जलाशय के बेलटुकरी नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 11 मार्च 2008

क्रमांक 04 /अ 82/2007-08/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिएं प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	बम्हनीडीह	1.754	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	कबीरधाम जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 मार्च 2008

क्रमांक 05/अ 82/2007-08/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	सेमराडीह	12.000 हे.	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	सेमराडीहँ जलाशय निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 5 मार्च 2008

क्रमांक /895/क/भू-अर्जन/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	किरन्दुल	4.817	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ. ग.)	मे. एस्सार स्टील लिमि. किरंदुल के द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग फाईन ओर स्टोरेज यार्ड एवं ग्रीन बेल्ट के विकास हेतु. भू-अर्जन.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 7 मार्च 2008

क्रमांक /903/क/भू-अर्जन/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	0.032	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर (छ. ग.)	शंखनी सेतु 1/4 कि. मी. हेतु पहुंच-मार्ग निर्माण.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चाम्पा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 फरवरी 2008

क्रमांक -क/भू-अर्जन/04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	बारगांव प. ह. नं. 13	0.081	कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	पेण्ड्री माइनर नं. 5 नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 फरवरी 2008

क्रमांक -क/भू-अर्जन/05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	बिलारी प. ह. नं. 16	0.685	कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	बुन्देला माइनर नं. 1 नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 फरवरी 2008

क्रमांक -क/भू-अर्जन/06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	चण्डीपारा. प. ह. नं. 03	0.045	कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग जांजगीर.	चण्डीपारा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 फरवरी 2008

क्रमांक -क/भू-अर्जन/07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	कुटराबोड़ प. ह. नं. 14	0.186	कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	भदरा माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 फरवरी 2008

क्रमांक -क/भू-अर्जन/08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	बारगांव प. ह. नं. 13	0.081	कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	नेवराबंद माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 फरवरी 2008

क्रमांक -क/भू-अर्जन/09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	चिस्दा प. ह. नं. 25	0.097	कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग जांजगीर.	चिस्दा माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 फरवरी 2008

क्रमांक -क/भू-अर्जन/10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	हेड़सपुर प. ह. नं. 02	0.036	कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	लगरा माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 फरवरी 2008

क्रमांक -क/भू-अर्जन/11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	बिलारी प. ह. नं. 16	0.320	कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	बिलारी माइनर नं. 2 निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 फरवरी 2008

क्रमांक -क/भू-अर्जन/12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चाम्पा	चोरिया प. ह. नं. 13	0.302	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 02, चाम्पा.	चोरिया सब माइनर नं. 4 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2008

क्रमांक -क/भू-अर्जन/13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चाम्पा	गोविन्दा प. ह. नं. 16	0.324	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 02, चाम्पा.	चाम्पा शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2008

क्रमांक -क/भू-अर्जन/14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	भैसो प. ह. नं. 04	0.085	कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	डुमरपाली माइनर नं. 5 नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 फरवरी 2008

क्रमांक -क/भू-अर्जन/15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	मेऊ प. ह. नं. 13	0.243	कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध सभाग जांजगीर.	बारगांव माइनर नं. 3 नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 1 अक्टूबर 2007

—

रा. प्र. क्र./03/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-बड़ा दमाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 20.203 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4/81	0.971
4/115	0.524
4/26	0.323
520/2	0.494
157/29	0.178
161/4	0.405
4/136	2.023
4/39	0.046
4/7	0.534
161/3	3.246
524	0.141
157/39	0.121
161/6	0.101
4/47	0.038
4/144	0.405
157/5	0.971
513	0.129
4/107	0.364
523/1	0.125
4/49	0.607
4/20	0.251
176/7	0.709
519	0.324
4/110	0.243
4/31	1.607
4/48	0.928
161/106	0.101
176/3	0.721
521	0.202
4/46	0.607
157/55	0.283
4/117	0.324
161/65	0.129
520/1	1.327
522	0.405
140/34	0.061
157/56	0.235
योग	20.203

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बरनई परियोजना के डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 21 जनवरी 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07 अ/82 वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-कसडोल
- (ग) नगर/ग्राम-सेमरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 5.01 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
125/1 ख	0.16
125/1 ग	0.41
125/1 ङ	0.41
125/1 च	0.28
651/2	0.09
652/3	0.20
650/1	0.02
650/2	0.23
655	0.06
529	0.15
589	1.12
604	
640	
649	
590	0.05
591	0.28
592	0.03
593	0.04
594	0.51
595	0.32
596	0.02
600	0.63
योग 19	5.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जोंक व्यपवर्तन योजना के गिधौरी शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2008

क्रमांक/क/वा./भू. अ./अ. वि. अ./प्र. क्र./08/अ-82/वर्ष 07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कचना, प. ह. नं. 110
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 15.390 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1048/1	11.408
1048/1193	2.310
1048/1194	1.672
योग	15.390

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कचना, प. ह. नं. 110, रायपुर में मण्डल की कमजोर वर्ग के हितग्राहियों के आवास निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चाम्पा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 फरवरी 2008

क्रमांक 01.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-कमरीद, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.185 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
897/2	0.032
897/1	0.028
898	0.073

(1)	(2)
848/60	0.028
946	0.024
योग	0.185

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोनिया पाठ माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 फरवरी 2008

क्रमांक 02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-अमरूवा, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.024 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
121/3	0.024
योग	0.024

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अमरूवा माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 फरवरी 2008

क्रमांक 03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-घिवरा, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.049 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1415	0.049
योग	0.049

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिर्रा उप शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 11 मार्च 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3 अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) ज़िला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सुर्री
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 5.155 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
104/1	0.149
104/2	

(1)	(2)
126/4	0.093
128/6	0.089
128/12	0.185
142/3	0.028
128/2	0.109
128/3	0.137
128/4	0.129
128/7	0.041
128/11	0.077
208/1	0.032
128/5	0.097
128/9	0.040
207/5	0.061
208/4	0.094
207/2	0.012
128/8	0.032
129/4	0.012
141/1	
126/3	0.128
151/2 क	0.004
210/3 ग	0.020
134/3	0.012
137/1	0.032
139	0.036
134/1 ख	0.049
134/2	
136/2	
144/1	0.142
146/1	0.016
145/1	0.053
204/1	0.028
205	0.145
206/1	0.117
209/1	0.081
135/1	0.045
139/1 ख	
127/5	0.109
133/2	0.057
133/3	0.020
126/2	0.117
126/7	0.093
131/2	0.776
131/1	0.165
133/1 क	0.153
133/1 ख	
135/2	0.012
140/1 क	0.016

(1)	(2)
141/2	0.006
141/4	0.154
193/2	0.028
143/1	0.032
132/1 क	0.040
128/10	0.054
130/5	0.012
126/6	0.057
118/1	0.012
126/1	0.028
119/1	0.129
141/3	0.057
144/2	0.077
210/3 ख	0.287
204/6	0.097
204/5	
208/3	0.024
209/2	0.032
208/5	0.016
210/2	0.041
206/2	0.028
204/2	0.170
125	0.016
142/3	0.008
204/3	0.008
132/1 ख	0.040
138	0.053
210/1 च	0.041
207/3	0.070
207/6	0.154
208/2	0.089
151	0.141
207/4	0.162
204/4	0.036
योग 76	5.155

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-झारमुड़ा शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 मार्च 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-22 अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम-लाखा

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 9.000 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	225	9.000
योग	1	9.000

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 मार्च 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 47 अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम-अमली भौना

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 6.163 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	51/2	0.125
	163/1	0.097
	164	0.137
	49/1	0.081
	47/1	0.089
	100/1	0.254
	48	0.045
	51/1	0.045
	82	0.364
	79/7	0.342
	49/5	0.024
	165	0.049
	163/3	0.073
	97	0.004
	101/1	0.110
	78	0.304
	45	0.194
	174	0.861
	50	0.166
	76	0.579
	79/2	0.008
	73	0.346
	49/3	0.045
	180	0.073
	46	0.250
	163/2	0.073
	166	0.739
	84/1	0.004
	74	0.186
	179	0.077
	177	0.016
	52/2	0.310
	79/3	0.024
	49/2	0.020
	49/4	0.049
योग		6.163

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 मार्च 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 49 अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कोसमनारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 4.181 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
95	0.093
133/2	0.202
150/1	0.595
92/4	0.186
105/1	0.141
93	0.161
148/2	0.197
91	0.298
87	1.900
149/1	0.053
148/3	0.262
146/6	0.093
योग	4.181

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 मार्च 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 50 अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कलमी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 3.441 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
376/1	0.113
381/8	0.350
381/7	0.795
387/6	0.016
387/1	0.324
385/1	0.169
369/3	0.162
370	0.045
381/9	0.101
377	0.125
381/10	0.113
387/8	0.065
387/7	0.020
390/1	0.185
371/2	0.077
376/2	0.077
378	0.057
387/3	0.105
387/5	0.169
385/2	0.057
369/1	0.304
379/1	0.012
योग	3.441

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 मार्च 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 52-अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-झारमुड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 9.034 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
179/1	0.008
147	0.065
147, 890	0.166
142	0.008
32/1	0.105
141/1	0.190
137	0.008
141/2	0.106
106/2	0.113
144/1	0.008
144/3	0.020
101	0.041
106/1	0.094
107/1	0.089
34	0.024
25	0.053
178/1	0.008
7/1, 7/2	0.458
13/1	0.138
36	0.073
146	0.351
60	0.142
303	0.077
104	0.097
107/2	0.174
10	0.082
103	0.016
131/1	0.206
106/3	0.113
62	0.040
8	0.036
40/1	0.326
178/2	0.008
9/1, 13/2	0.437
133/1	0.506
37	0.081
145	0.279
109	0.012
144/2	0.125
105	0.126
108	0.036
140	0.008
131/2	0.129
61	0.668
107/3	0.134
63	0.032
31/1	0.234
21	0.020
30/1	0.146
17/2	0.097
26/6	0.336
769/1 क	0.032
11	0.367
288	0.085
41	0.016
26/2, 30/2	0.060
289	0.366
294	0.036
301	0.450
302/1	0.065
19/5	0.246
201/1	0.105
148	0.162
771/1	0.041
201/2	0.154
योग	9.034

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 मार्च 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 53 अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-तड़ोला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 8.437 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/1	0.611
25/2	0.040
25/4	0.040
128/2 क	0.024
23/4	0.097
20/1	0.133
31	0.396
32/4	0.118
129	0.024
135/2 क	0.033
142/4	0.121
134/3	0.129
142/7	0.194
142/2	0.303
144/2	0.198
26/1	0.254
25/3 क	0.069
30/2 ख 30/2 क	0.194
28	0.323
40/1	0.004
30/2 ङ	0.202
32/2	0.052
32/5	0.170
131	0.008
135/2 ख	0.016
142/3	0.028
134/1 क 134/2	0.186
143/1 क	0.053
143/3 148/3 149/3	0.061
152/2 घ	0.134
26/2	0.105
29/2 क	0.097
127/2 क	0.101
23/2	0.041
23/3 24	0.190
30/1	0.379
32/3	0.032
128/1	0.648
133/1	0.676
135/1 क	0.081
143/1 ख	0.121
142/1 क	0.142
135/1 ख	0.073
143/2	0.109
153/4 क	0.012
144/1	0.405
157	0.363
158 159 160	0.202
4/1	0.073
135/2 ग	0.016
152/2 ग	0.134
152/2 ङ	0.133
29/2 ख	0.012
30/2 घ 30/2 ग	0.032
127/2 ख 128/ ख	0.045
कुल योग	8.437

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु .

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 मार्च 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 54 अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-जकेला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 6.271 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
375	0.125
378	0.133
391/1	0.036
441/3	0.137
438/1	0.073
432	0.206
415/1	0.024
417/2	0.020
412/3	0.101
443/1	0.209
433/2	0.243
406	0.012
409/3	0.073
376	0.145
389	0.081
390/2	0.210
441/1	0.034
439	0.218
422	0.307
421	0.020
412/4	0.012
415/2	0.057
437/2	0.016
390/1	0.628
410	0.097
444/2	0.610
377	0.202
441/2	0.089
443/3	0.148
420	0.840
431	0.198
412/1	0.182
417/1	0.012
412/2	0.101
437/1	0.020
443/2	0.161
414	0.410
408/1	0.081
योग	6.271

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 मार्च 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 58 अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कोड़ातराई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 9.245 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
588/10	0.178
596	0.012
601/1	0.089
572/1	0.073
512/1	0.061

(1)	(2)
512/2	0.008
517/2	0.016
520	0.016
521	0.339
133/2 261/2	0.113
484	0.073
524/1	0.036
483/2	0.012
592	0.210
598	0.162
597	0.145
604/1	0.073
513/1	0.101
534	0.142
523/1	0.049
148/4	0.057
410/2	0.218
482	0.004
492/2	0.041
411/3	0.101
411/1	0.012
266/1	0.057
137	0.077
135/2	0.113
532/2	0.020
160/6	0.129
483/1	0.008
268/3	0.049
588/9	0.077
149/1	0.081
589	0.202
588/7	0.101
599/6 600/6	0.254
147	0.367
571/2	0.020
532/1	0.020
269/4	0.036
269/5	0.036
136/2	0.461
599/7 600/7	0.049
487/1	0.081
487/2	0.081
490/1	0.020
266/9	0.298
262/2	0.089

(1)	(2)
133/3 261/3	0.121
139/2	0.016
148/9	0.121
263	0.073
515/2 516/2	0.105
511/2	0.012
533/1	0.202
522	0.218
134/1	0.041
485	0.202
267/2	0.057
486/2	0.129
593	0.247
601/2	0.089
601/3	0.097
510/1	0.008
517/1	0.129
271/2	0.004
535	0.065
273/8	0.085
269/3	0.020
262/1	0.061
132/1	0.008
146/2	0.137
412/15 412/16	0.008
412/19	0.041
411/2	0.032
270	0.045
262/3	0.352
138	0.049
523/2	0.081
133/4 261/4	0.325
148/6	0.178
486/1	0.202
588/8	0.178
599/10 600/10	0.041
602	0.008
571/3	0.016
269/1	0.036
273/7	0.028
269/6	0.020
136/1	0.202
150/1 ख	0.028

(1)	(2)
269/2	0.028
258/1	0.081
587/3	0.012
योग	9.245

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.